न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

68/2024
एमएस : 2024/174

जसवीर सिंह पुत्र श्री नत्थासिंह जाति जटसिख साकिन 34 पीएस तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।

–:प्रार्थी

बनाम

1. नत्थासिंह पुत्र श्री तारासिंह जाति जटसिख साकिन 34 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।
2. सरजीत कौर पत्नी श्री नत्थासिंह जाति जटसिख साकिन 34 पीएस तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राजस्थान।
3. लखविन्द्र पुत्र श्री नत्थासिंह जाति जटसिख साकिन 34 पीएस तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।
4. निशानसिंह पुत्र श्री नत्थासिंह जाति जटसिख साकिन 34 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राजस्थान।
5. सर्वजीतकौर पुत्री श्री नत्थासिंह जाति जटसिख साकिन 34 पीएस तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राजस्थान।
6. रजवन्त कौर पुत्री श्री नत्थासिंह जाति जटसिख साकिन 34 पीएस तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।
7. सुखविन्द्र कौर पुत्री श्री नत्थासिंह जाति जटसिख साकिन 34 पीएस तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राजस्थान।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

–:अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजू 22.07.2024

उपस्थित अधिवक्तागण

1. श्री अवमार सिंह बराड़ .प्रार्थी अधिवक्ता.
2. श्री गुरप्रताप सिहं अप्रार्थीगण अधिवक्ता

–: **निर्णय** :– दिनांक :– 04.10.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 के माता पिता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से वाके चक 34 पीएस का खाता संख्या 75/46 का मु.नं. 20 पं.नं. 260/304 के कि.नं. 20–21 सालम–सालम व मु.नं. 19 पं.नं. 261/304 के कि.नं. 11 ता 13, 16 ता 25 सालम सालम व 14/2 के 0.063 है. इसी प्रकार दोनो मुरब्बों में कुल 3.858 है. नहरी रकबा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं इसी चक 34 पीएस का खाता संख्या 211/77 का मु.नं. 73 पं.नं. 261/308 के कि.नं. 11/2 में 0.510 एवं 20 सालम तथा 21 के 0.228 है. एवं मु.नं. 91 पं.नं. 262/310 में कि. नं. 1 ता 5 व 10 ता 13 प्रत्येक सालम–सालम इस प्रकार दोनों मुरब्बों की 2.809 है. नहरी भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 नत्थासिंह का 1885/2809 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि जो वाके चक 34 पीएस का खाता संख्या 211/77 का मु.नं. 73 पं.नं. 261/308 के कि.नं. 11/2 में 0.0510 है. एवं 20 सालम तथा 21 के 0.228 है. एवं मु.नं. 91 पं.नं. 262/310 में कि.नं. 1 ता 5 व 10 ता 13 प्रत्येक सालम–सालम इस प्रकार दोनों मुरब्बों की 2.809 है. नहरी भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 नत्थासिंह का 1885/2809 हिस्सा के नाम से दर्ज है वह भू[illegible] से विरास्तन मिली है जिस कारण प्रार्थी संख्या 1 के नाम की वह भूमि [illegible] प्रार्थीगण संख्या 1 तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 विरास्तन [illegible] चक 34 पीएस का खाता संख्या 75/46 का मु.नं. 20 [illegible] 260/304 [illegible].नं. 11 ता 13, 16 ता 25 सालम सालम व 14/2 के 0.063 [illegible] 3.858 है. नहरी [illegible] भूमि प्रार्थी एवं अप्राथीगण संख्या 1 ता 7 के द्वारा [illegible] सिंह के मिली संपत्ति एवं [illegible] के द्वारा संयुक्त परिवार मुं रहते हुये पशुपालन एवं कृषि कार्य दिहाडी मजदूरी कर संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 14:49:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

परिवार की आमदनी से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से परिवार के मुखिया होने के नाते कय की है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा बराबर -बराबर बनता है। क्योकि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एक ईकाई की श्रेणी में आते है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1-3ता 7 द्वारा अपने हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर रखा है और पक्षकारान का अपने-अपने हिस्सा पर कब्जा काश्त है और शांतिपूर्वक काश्त कर रहे है अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 ता 7 चालाक किस्म के व्यक्ति है जो अपने पुत्र लखविन्द्रसिंह व निशानसिंह के बहकावे में आकर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि को आगे बेचने की फिराक में है और वे ऐसा करने में सक्षम भी है क्योंकि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में उनके नाम से दर्ज है वादग्रस्त संपत्ति में वादी का 1/7 हिस्सा खातेदारी बनता है जिसे वह प्राप्त करने का अधिकारी है । अप्राथीगण 1 व 2 ने उपरोक्त वादग्रस्त संपत्ति को बेचने के लिये ग्राहक लगा रखे है जिनके बारे में वादी को दिनांक 25.06.2024 को पता चला तो प्रार्थी के द्वारा अप्राथीगण संख्या 1 व 2 से वादग्रस्त भूमि में अपना 1/7 हिस्सा को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिये कहा तो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने आजकल आजकल करके समय व्यतीत करना शुरू कर दिया है तथा बहानेबाजी कर समय व्यतीत करने लगे अब प्रार्थी का मालूम हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने नाम की भूमि अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के नाम से करवाकर भूमि को आगे खूर्द-बूर्द करना चाहते है। वादी के द्वारा दिनांक 02.07.2024 को मौतबिरान व्यक्तियों को बुलाकर पंचायत इकट्ठी कर प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से उपरोक्त वादग्रस्त भूमि मे अपने 1/7 हिस्सा की मांग को लेकर निवेदन किया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी को उसका हिस्सा देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया बस यही तारीख बिनाय मुखास्मत है बिनाय दावा प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि खरीद करने के रोज से प्राप्त है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की विरास्तन संपत्ति है तथा उस संपत्ति संयुक्त परिवार की मेहनत मजदूरी करके खरीद कर उसका मूल्य अदा किया है जिस कारण से यह वादग्रस्त संपत्ति हिन्दू संयुक्त परिवार की सददायगी संपत्ति की श्रेणी में आती है जिसमें प्रार्थी का 1/7 हिस्सा बनता है अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 उपरोक्त वादग्रस्त संपत्ति को आगे विक्रय कर देते है अथवा अन्य प्रकार से नुमाईशी तौर पर खुर्द-बुर्द कर देते है तो प्रार्थी अपने हकों से वंचित हो जायेगा तथा उसे अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्य मुद्राओं में नहीं आंका जा सकता प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा प्रार्थी के पक्ष में है प्रार्थी के विधिक हितों की रक्षा के लिये वादी अप्रार्थीगण के विरूद्व निषेघाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अप्रार्थीगण संख्या 8 भूमि मालिक राजस्थान सरकार है इसलिए पक्षकार बनाया गया है तथा अप्राथीगण 3 ता 7 नत्थासिंह के विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण वादग्रस्त संपत्ति में हिस्सेदार है जो वाद के आवश्यक पक्षकार है जिन्हे भी प्रार्थी की भांति वादग्रस्त संपत्ति से 1/7 हिस्सा प्रत्येक को प्राप्त होना है इसलिए उन्हे वाद में पक्षकार बनाया गया वे अपना हिस्सा प्रार्थी की श्रेणी में शामिल होकर अथवा बतौर अप्रार्थी रहकर प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 8 भूमि मालिक होने के कारण उसे पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी सं. 3 ता 7 नत्था सिहं के विधिक उत्तराधिकारी कारण के वादग्रस्त संपत्ति में हिस्सेदार है। जो वाद के पक्षकार है। जिन्हें भी प्रार्थी की भांति वादगस्त सम्पति में 1/7 हिस्सा प्रत्येक को प्राप्त होना है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद के निणर्य तक अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वाके चक 34 पी एस के खाता सं. 75/46 का मु.न. 20 प.न. 260/304 के कि.न. 20-21 सालम-सालम व मु.न. 19 प.न. 261/304 के कि.न. 11 ता 13, 16 ता 25 सालम-सालम व 14/2 के 0.063 है. इस प्रकार दोनों मुरब्बों में [illegible]58 है. नहरी राजस्व में दर्ज है एवं इसी चक 34 पी एस के खाता सं. 211/77 [illegible] मु.न. [illegible]3 प.न. 261/308 के कि.न. 11/2 में .0510, 20 सालम, 21 के 228 है. व मु.न. 91 [illegible] 262/310 के कि.न. 1 ता 5 व 10 ता 13 प्रत्येक सालम -सालम इस प्रकार दोनों [illegible] में 2.808 है. नहरी भूमि हिन्दू सयुक्त परिवार की सहदायगी संपत्ति को किसी प्रकार से रहन बैय हस्तारित ना करें तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व ऐसा कोई कृत्य ना करें जिसे प्रार्थी को नुकसान होता हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 14:49:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री गुरप्रताप सिंह अधिवक्ता हाजिर होकर जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का विरोध प्रकट करते हुये कहा कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की मद सं.3 जिस प्रकार से दर्ज की गई है स्वीकार नहीं है। विवादित भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं.1 नत्था सिहं के नाम दर्ज है यह तथ्य अस्वीकार है। उक्त भूमि नत्था सिहं को उसके पिता तारा सिहं से विरासतन मिली हो, बल्कि उक्त भूमि नत्था सिहं के खरीद शुदा है। उक्त भूमि आपनी आमदनी से खरीद की गई है। यह तथ्य भी अस्वीकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का संयुक्त परिवार हो, जिस में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3ता 7 का 1/7हिस्सा बराबर बनता हो। प्रार्थी ने अपने प्रा.पत्र की मद सं 4–5–6 अस्वीकार है। ओर कोई बैठक पंचायत की नहीं हुई है। अपने अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि दोनों खातो की भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 की खरीदशुदा भूमि है जो उनके द्वारा मेहनत करके अर्जित की है । जो अप्रार्थी सं. 1–2 स्वयं अर्जित सम्पत्ति है। प्रश्नगत भूमि विवादित में नत्था सिहं का हक व हिस्सा 1423/1829 यानि 2.846 है. मे से 1.265 है. नहरी दोनों खातो की 3.163 है. नहरी भूमि का दान दस्तावेज दिनांक 1.4.2021 को रोबरू गवाहान अपने पोत्र प्रदीपसिहं ,जीवनसिहं पि. लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 34 पीएस नाबलिगान बजरिये कुदरती बली माता नरवीतकौर पत्नि लखविन्द्र सिहं के पक्ष में बहिस्सा बराबर कर दिया था, जिसका इन्तकाल रोकने के लिए प्रार्थी ने झूठा केस किया है। इन्तकाल की प्रकिया रोकने के लिए उक्त दावा व प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि इन्तकाल की प्रकिया को लम्बे समय तक रोका नहीं जा सकता है। जिनके पक्ष में दान पत्र हुआ उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अप्रार्थी सं. 2 के नाम से खाता सं. 75/46 व 506/1929 हिस्सा दर्ज जो उसकी स्वयं अर्जित सम्पति है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार वह इस भूमि की पूर्णतः मालिक है। अप्रार्थी स. 1 व2 जमाबन्दी में रिकार्डड काश्तकार है। विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 की स्वयं की अर्जित सम्पति है। जिसमें अप्रार्थी सं. 1 व 2 के वारिसों को कोई हक व हिस्सा नहीं नता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी का नहीं बनता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन , व अपूर्णीय क्षति तीनों प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी सं.1 व 2 के पक्ष में ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने याग्य नहीं है। जो खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

. बहस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विवादित भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमें अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 मूल वाद के निर्णय तक बैय करने बाज व ममनु रहें । तब तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे । वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 को अपने पिता से जरिये दान दस्तावेज के जरिये प्राप्त हुई है। उक्त विवादित आराजी उनकी जरिये स्वंयअर्जित सम्पति है। जिसे महनेत ,मजदरी करक खरीद की हैं उक्त भूमि का इन्तकाल रूकवाने हेतु कूटरचित तरीक से प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार प्रार्थी को नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. बहस पक्षकारान के अधिवक्तगण का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। विवादित भूमि चक [illegible] चक 34 पी एस के खाता सं. 75/46 का मु.न. 20 प.न. 26[illegible] के कि.न [illegible] सालम–सालम व मु.न. 19 प.न. 261/304 के कि.न. 11 ता 13, 16 ता 25 सा[illegible] व 14/2 के 0.063 है. इस प्रकारा दोनों मुरब्बों में कुल 3.5[illegible] एवं इसी चक 34 पी एस के खाता सं. 211/77 का मु.न. [illegible] 261/30[illegible] कि.न. 11/2 में .0510, 20 सालम, 21 के .228 है. व मु.न. 91 [illegible] 262/310 के कि.न. 1 ता 5 व 10 ता 13 प्रत्येक सालम –सालम इस प्रकार दोनों मुरब्बों में 2.809 [illegible] नहरी भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायगी संपत्ति है या अप्रार्थीगण की स्वयं अर्जित सम्पति है। इस में प्रार्थी का हिस्सा बनता है या नहीं । इन बिन्दूओ का निस्तारण मूल वाद में दोनों पक्षों के साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 14:49:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

लिये जाकर मेरिट के आधार पर तय किया जाना है। फिलहाल को स्थगन प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाना है। विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के नाम से है। जिसका फायदा उठाकर उक्त भूमि बेचान किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण का न होकर प्रार्थी को होगा। भूमि का बेचान होने पर अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ेगा। विवादित भूमि अप्रार्थीगण के द्वारा बेचान कर दी जाती है तो इसे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को न होकर प्रार्थीगण को होगी जिस ना पूरा होने वाला नुकसान की भरपाई मुद्राओ में नहीं आकी जा सकेगी। तथा ऐसे में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष प्रतीत होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वाके चक 34 पी एस के खाता सं. 75/46 का मु.न. 20 प.न. 260/304 के कि.न. 20–21 सालम–सालम व मु.न. 19 प. न. 261/304 के कि.न. 11 ता 13, 16 ता 25 सालम–सालम व 14/2 के 0.063 है. इस प्रकारा दोनों मुरब्बों में कुल 3.558 है. नहरी राजस्व में दर्ज है एवं इसी चक 34 पी एस के खाता सं. 211/77 का मु.न. 73 प.न. 261/308 के कि.न. 11/2 में .0510, 20 सालम, 21 के .228 है. व मु.न. 91 प.न. 262/310 के कि.न. 1 ता 5 व 10 ता 13 प्रत्येक सालम –सालम इस प्रकार दोनो मुरब्बों में 2.809 है. नहरी भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायगी संपत्ति को किसी प्रकार से रहन बैय हंस्तारित ना करें तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व ऐसा कोई कृत्य ना करें जिसे प्रार्थी को नुकसान होता हो। दिनांक 22.07.2024 जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता हैं पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 04.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्रा)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 14:49:13 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner